कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषयः– जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत, धरमघर छिपछिया मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/10143/2015

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित आपत्ति के अनुपालन में आनलाईन उपलब्ध करायी गई सूचना चाही गई सूचना के अनुरूप नही है। आप के द्वारा आनलाईन उपलब्ध करायी गई सूचना Form A के Part I तथा Part II में यथाख्थान अपलोड़ नही की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की सूचना Part I एंव Part II में यथाखान अपलोड़ करने के साथ मय बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। जिन बिन्दुओं पर भारत सरकार को पूर्ण सूचना भेजी जानी है, उन बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार हैं।

- 1. As per details provided in hard copy, the alternate alignment is examined by the State Govt. but the details is not filled in online designated column of part I.
- 2. The CA area is said to be in four patches as per information filled in Part I but the KML file shows only one patch of area 4.2ha, the details should be corrected in online Part I accordingly and ownership proof is not uploaded in the designated column for CA site. The FRA document is uploaded in the place of ownership proof which needs to be replaced with correct documents.